# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक– शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2020 दिनांकः 04.01.2021 के तहत श्री नरेश कुमार गुप्ता, व्याख्याता, रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, हनुमानगढ़ टाऊन, हनुमानगढ़ से महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, बन्सी, पहाड़पुर, भरतपुर एवं राधेश्याम, व्याख्याता रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल डेगाना, नागौर से राउमावि, हनुमानगढ़ टाऊन, हनुमानगढ़ किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व श्री नरेश कुमार गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 868/2021 नरेश कुमार गुप्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 868/2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 15.01.2021 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष आदेश जारी होने के सात दिवस में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं तबादला नीति के अन्तर्गत निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में श्री नरेश कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 23.02.2021 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं पिता का लंबी बीमारी के चलते दिनांक 22.02.2021 को देहांत हो जाने एवं एकमात्र पुत्र होने के कारण वृद्ध तथा अस्वस्थ माता की देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं पर होने और स्वयं की पत्नी के राजकीय सेवा में हनुमानगढ़ जिले में कार्यरत होने के आधार पर स्वयं का समायोजन राउमावि, हनुमानगढ़ टाऊन, हनुमानगढ़ में व्याख्याता के रिक्त पद पर करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित स्थान पर ही पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/नरेश कुमार गुप्ता/868/को.के/21 दिनांकः– 25/02/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर